न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 67 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. ओमाराम पुत्र पनाराम जाति विश्नोई निवासी विश्नोई की ढाणी, भाणिया तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. डोली बनाम मंदिर श्री बंशीवाले जरिये व्यवस्थापक किशनाराम पुत्र रामचन्द्र 2. बस्तुदेवी पत्नी पपुराम 3. हरीराम पुत्र कानाराम जातिगण विश्नोई निवासीगण विश्नोईयों की ढाणी, भाणिया तह0 सोजत जिला पाली राज0। 4. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री आनन्द भाटी, श्री मानवेन्द्र भाटी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 3 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 19/02/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि विश्नोईयो की ढाणी सरहद मौजा ग्राम भाणिया पटवार हल्का राजोला कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत के प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 441 रकबा 1.9100 है0 में पंहुच हेतु अप्रार्थीगण सं0 01 से 03 की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 433 रकबा 3.5500 है0, ख.नं. 434 रकबा 1.2800 है0, ख.नं. 440/1 रकबा 1.0900 है0, ख.नं. 440/2 रकबा 0.1800 है0 मे से आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो विश्नोईयों की ढाणी सरहद मौजा भाणिया के खसरा नंबर 433, 434, 440/1, 440/2 में से दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 से 03 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर सरहद मौजा ग्राम भाणिया के खसरा नबंर 441 मे आवागमन व आने जाने हेतु सरहद मौजा ग्राम भाणिया के खसरा नबंर 433, 434 के बीच की माट पर राजस्व रेकर्ड व ट्रेस नक्शा अनुसार कोई रास्ता दर्ज नही हैं। और साथ ही खसरा नबंर 440/1 व 440/2 में से होकर खसरा नबंर 441 में पहुँचने के

भी राजस्व रेकर्ड ट्रेस नक्शे मे कोई रास्ते का इन्द्राज नहीं हैं। खसरा नंबर 433 व 34 के बीच की माट पर खातेदार काश्तकारों के लिए ही खुद की फसलों को बुआई, कटाई, निदान व अवेराई के लिए आवागमन के लिए पगडंडी के रूप में रखा गया है, उसी प्रकार खसरा नबंर 440/1 में अप्रार्थीनी बस्तुदेवी व 440/2 में अप्रार्थी संख्या 3 हरीराम के दो पुत्र श्यामलाल व राजेन्द्र अपने परिवार सहित रहते आये है। जहाँ पर हरीराम के दोनों पुत्रों के बीच मे पगडंडी का रास्ता आवागमन हेतु है जो राजस्व रेकर्ड में तरमीमसुदा नही है। प्रार्थी ने उक्त वर्णित खसरा नबंरान में 30 फुट चौडा रास्ता की गलत मॉंग की है, इससे अप्रार्थी संख्या 3 जिसकी 0.18 हैक्टर कृषि भूमि ही खातेदारी है, जिससे रास्ते में अधिक भूमि जाने से खेती विहिन व काश्त विहिन हो जायेंगे, इसलिए खसरा नंबर 433 व 434 की बीच की माट पर काश्तकारों की सुविधा के लिए 12 फुट चौडा व खसरा नंबर 440/1 में भी 12 फुट चौड़ा तथा खसरा नबंर 440/2 में अप्रार्थी संख्या 3 हरीराम के दोनो पुत्र श्यामलाल व राजेन्द्र के आवास के बीच में 12 फुट चौड़ा रास्ता से अधिक की मॉंग नहीं की जा सकती है। यह सहमति पूर्व में आपसी सहमति इस शर्त पर बनी थी कि सरहद मौजा लाणेरा के खसरा नंबर 408/7 व 410 तक पहुँचने के लिए जो सरहद मौजा भाणिया के खसरा नबंर 436, 448, 449, 450, 451, 451/1, 452/1 व सरहद मौजा लाणेरा के खसरा नबंर 406 से होते हुए उनके खातेदार रजाबन्दी से आवागमन हेतु रास्ता तरमीम करवायेगे। इस प्रकार जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आशिंक स्वीकार किया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/1678 दिनांक 05.11.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चौपड़ा, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि मौके पर विद्यमान रास्ता ख.नं. 434 में 184 मी0 × 5 मी0 = 920 वर्गमीटर डोली बनाम मंदिर श्री बंशीवाले वगै0 एवं ख.नं. 440/1 में 48 मी0 × 5 मी0 = 240 वर्गमीटर, बस्तुदेवी पत्नि पप्पुराम विश्नोई में से, ख.नं. 440/2 में से 48 मी0 × 5 मी0 = 240 वर्गमीटर हरिराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई में से प्रस्तावित है, जो आगे जाकर आबादी भूमि से मिलता हैं। वर्तमान में ख.नं. 440/2 के खातेदार हरिराम पुत्र कानाराम विश्नोई द्वारा ख.नं. 440/2 में से उत्तर दिशा में नजरी नक्शा अनुसार 5 मीटर चौड़ा रास्ता प्रार्थी के ख.नं0 441 में जाने हेतु मौके पर छोड़ा हुआ हैं, की रिपोर्ट पेश की। जो सा0मि0 हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 128686/- रूपये प्रति हैक्टर है। फर्द

उपखण्ड अधिकारी

का मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमे नजदीकी रास्ता ख0न0 434, 440/1, 440/2 में से मौका फर्द में लाल रंग स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत चौपडा की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल रंग स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए विश्नोईयों की ढाणी सरहद मौजा ग्राम भाणिया के खसरा नम्बर 441 कृषि भूमि मे आवागमन हेतु 30 फुट चौडा रास्ता खसरा नंबर 434, 440/1, 440/2 मे से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 से 03 ने निवेदन किया कि आपसी सहमति की शर्त अनुसार सरहद मौजा लाणेरा के खसरा नंबर 408/7 व 410 तक पहुँचने के लिए जो सरहद मौजा भाणिया के खसरा नबंर 436, 448, 449, 450, 451, 451/1, 452/1 व सरहद मौजा लाणेरा के खसरा नबंर 406 से होते हुए उनके खातेदार रजाबन्दी से आवागमन हेतु रास्ता तरमीम किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सोजत को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चौपड़ा, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 434, 440/1, 440/2 में से होकर पाया जाता है, जो रास्ता आगे जाकर आबादी भूमि से मिलता हैं। प्रस्तावित रास्ते के रूप में दिया जाना उचित प्रतीत होता हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

:- **आदेश** :-

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम भाणिया पटवार हल्का राजोला कलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौपडा तहसील सोजत के प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 441 रकबा 1.9100 है0 में पंहुच हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 434 रकबा 1.2800 है0 में से 0.0920 है0, ख.नं. 440/1 रकबा 1.0900 है0 में से 0.0240 है0, ख.नं. 440/2 रकबा 0.1800 है0 मे से 0.0240 है0 सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (128686/-रू0 × 2 × 0.1400 है0 = 36032/- रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	434 बा0अ0	1.2800 है0	डोली बनाम मंदिर श्री बंशीवाले वाके देह व्यवस्थापक किशनाराम पुत्र रामचन्द्र कौम विश्नोई निवासी विश्नोईयो की ढाणी, भाणिया तह0 सोजत जिला पाली राज0।	184 मी0× 5 मी0 = 0.0920 है0	23678.22 /-रू
02.	440/1 बा0अ0	1.0900 है0	बस्तुदेवी पत्नि पप्पुराम हिस्सा-पूर्ण जाति-विश्नोई सा0 देह खातेदार	48 मी0× 5 मी0 = 0.0240 है0	6176.92 /-रू
03	440/2 बा0अ0	0.1800 है0	हरिराम पुत्र कानाराम हिस्सा-पूर्ण जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	48 मी0× 5 मी0 = 0.0240 है0	6176.92 /-रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना

...ये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली ...फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णयआज दिनांक 19/02/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत